उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ – 226001
दूरभाष : पी0बी0एक्स0 26225439, 2622363, 2628461
फैक्स : – 0522–2615526, 2628841, 2274578

पत्र सं0–6198 सीईएनटी/2012–810निगम/नीति/12 दिनांकः 18 10.2012

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषयः–मू0पू0 संविदा चालकों/परिचालकों के प्रकरणों में पुर्नविचारण उपरान्त, संविदा बहाली की स्थिति में प्रतिभूति की धनराशि जमा कराने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक परिपत्र संख्या–2317(1)सीईएनटी/12–810 निगम/नीति/12, दिनाक 06.07.12 एवं परिपत्र संख्या 5597सीईएनटी/2012–810निगम/नीति/12 दिनांक 07.09.2012, तथा परिपत्र सं0–5721सीईएनटी/2012–810निगम/नीति/12 दिनांक 24.09.2012 द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन पूर्व में हटाये गये संविदा चालक/परिचालक के प्रकरण में क्षेत्रीय समिति के माध्यम से, पुनः प्रयुक्त किये जाने के विषय में निर्देश दिये गये हैं, का संदर्भ ग्रहण करें।

उपरोक्त के कम में, अग्रेतर यह निर्देश दिये जाते हैं कि पूर्व में हटाये गये संविदा चालकों/परिचालकों को पुनः संविदा पर प्रयुक्त किये जाने पर ऐसे संविदा चालक/परिचालक से प्रतिभूति की धनराशि रूपये 10,000/–(रूपये दस हजार मात्र) दो किश्तों में, यथा प्रथम किश्त रू0 5,000/–(रूपये पॉच हजार मात्र) अनुबन्ध पत्र भरवाते समय तथा दूसरी किश्त रू0 5,000/– (रूपये पॉच हजार मात्र) अनुबन्ध पत्र भरवाने के दो माह के भीतर निगम कोष में अवश्य जमा कराया जाए।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(आलोक कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

समसंख्यक/समदिनांकित
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशा0/प्रावि0/संचा0), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4. समस्त प्रधान प्रबन्धक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
5. समस्त नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
6. सहायक प्रबन्धक(एमआईएस), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ, को उपरोक्त परिपत्र निगम बेवसाइट, के ''इम्पलाइ कॉर्नर'' लिंक पर अंकित करने हेतु।
7. समस्त अध्यक्ष/महामंत्री, मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठन।

(जे0एन0 सिन्हा)
प्रधान प्रबन्धक(सं0का0)

Downloaded from www.upsrtc.com